(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 279–दो/02 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.11.2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 05/अपील/2000–2001.

मंगल सिंह पुत्र शिवसिंह
निवासी ग्राम सिमिलिया तहसील
विजयपुर जिला श्योपुर म0प्र0

--- आवेदक

विरूद्ध

बनवारी पुत्र किशनू गुर्जर
निवासी ग्राम बगवानी तहसील
विजयपुर जिला श्योपुर म0प्र0

--- अनावेदक

आवेदक अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा
अनावेदक अधिवक्ता श्री एस0एल0 धाकड़

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21-4-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 05/अपील/2000–2001 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2001 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2- प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम सिमिलिया में पदस्थ कोटवार निगरानीकर्ता मंगलसिंह अपराध कमांक 142/98 धारा 365 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत सबलगढ़ जेल में बन्द होने के संबंध में पटवारी मौजा द्वारा रिपोर्ट तहसील न्यायालय को देते हुये गैर निगरानीकर्ता के पिता किशनू को अस्थाई कोटवार के रूप में नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की गई । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 1.1.99 से निगरानीकर्ता मंगलसिंह को कोटवार के पद से पृथक करते हुये किशनू को अस्थाई कोटवार नियुक्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी । अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 19/अपील/98-99 में पारित आदेश दिनांक 15.2.99 से आंशिक स्वीकार करते हुये प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 24.5.99 से निगरानीकर्ता मंगलसिंह को पुनः अस्थायी कोटवार नियुक्त किया गया। किशनू द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत की गयी, जिसे दिनांक 28.12.99 से आंशिक स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई के लिये तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुये गैरनिगरानीकर्ता बनवारी को आदेश दिनांक 4.4.2000 से ग्राम सिमिलिया का अस्थायी कोटवार नियुक्त किया गया तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.4.2000 से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी । अनुविभागीय अधिकारी को

प्रस्तुत अपील मेमो के साथ संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत स्थगन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15.5.2000 को प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कियान्वयन प्रकरण के निराकरण तक स्थगित किया गया। अनुविभागीय अधिकरी सबलगढ़ द्वारा पुनः प्रकरण में दिनांक 28.6.2000 को दिनांक 15.5.2000 को जारी किये गये स्थगन आदेश को निरस्त किया गया। निगरानीकार्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.6.2000 के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसे अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29.11.2004 से निरस्त कर दी गयी। परिणामतः निगरानीकर्ता द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3- निगरानी मेमो में लिखे गये तथ्यों के संबंध में उभपक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

4- निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा प्रकरण में दिनांक 15.5.2000 को निगरानीकर्ता के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया गया था, जिसे बिना किसी समुचित कारण के एवं बिना निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 28.6.2000 से निरस्त कर दिया गया है । इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी किन्तु अपर आयुक्त द्वारा बिना विचार किये प्रस्तुत निगरानी निरस्त कर दी

गयी । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिवत न होने से निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार की जावे।

5- गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपने तर्क में बताया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15.5.2000 को दिये गये स्थगन आदेश को निरस्त किया गया है अपील प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया है । निगरानीकर्ता को अपना पक्ष रखे जाने का पूरा अवसर प्राप्त है। निगरानीकर्ता प्रकरण में अनावश्यक रूप से विलंब कर रहा है। अनुविभागीय अधिकरी के समक्ष प्रस्तुत अपील का अभी अंतिम विनिश्चय होना बांकी है । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाकर प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

6- मेरे द्वारा अभिलेखों का अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आया है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 4.4.2000 से गैर निगरानीकर्ता बनवारी को ग्राम सिमिलिया का अस्थायी कोटवार नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 15.5.2000 को स्थगन आदेश जारी किया गया था। जिसे दिनांक 28.6.2000 को निरस्त करते हुये प्रकरण सुनवाई के लिये नियत किया गया। निगरानीकर्ता के द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी । अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा आदेश में स्थगन आदेश देनें या न

देने के संबंध में पूर्ण विवेचना करते हुये प्रस्तुत निगरानी निराधार होने से निरस्त की गयी।

7-अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28.6.2000 को निगरानीकर्ता के हक में जारी स्थगन आदेश दिनांक 15.5.2000 निरस्त किया गया है । प्रकरण में अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया । अभी प्रकरण में अंतिम विनिश्चय होना है । निगरानीकर्ता द्वारा अनावश्यक रूप से प्रकरण में अंतिम विनिश्चय नहीं होने देना चाहता है उसका उददे्श्य मात्र प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंवायमान रखना है । निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में कोई सारवान तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिसके कारण उनके द्वारा कहे गये अभिवचनों को बल प्राप्त होता हो।

8- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2004 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार न होने के कारण यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

एम0 के0 सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर